मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 09.09.2025

थाना पड़री साइबर क्राइम टीम द्वारा ऑनलाइन ठगी की घटना से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि ₹ 3338/- को पीड़ित के खाते में कराया गया वापस—

आवेदक नीरज कुमार यादव पुत्र पतालू यादव निवासी देवापुर पचवल थाना पड़री जनपद मीरजापुर द्वारा थाना पड़री पर शिकायत सं. 33109250112596 के सन्दर्भ में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसपर थाना पड़री साइबर क्राइम टीम द्वारा तत्काल सम्बन्धित बैंक को मेल किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना पड़री की साइबर सेल टीम द्वारा जाँच प्रारम्भ की गयी।

"सोमेन बर्मा"वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के निर्देशन में अगर पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना पड़री की साइबर पुलिस टीम द्वारा आवेदक के बैंक खाते में कुल ₹ 3338/- वापस कराए गये। खाते में पैसे वापस आने पर आवेदक द्वारा थाने पर उपस्थित होकर मीरजापुर पुलिस के पुलिस उच्चाधिकारीगण एवं साइबर क्राइम टीम थाना पड़री पुलिस टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया गया। आवेदक को साइबर जागरुकता अभियान के तहत साइबर सम्बन्धी होने वाली ऑनलाइन ठगी/धोखाधड़ी की घटना के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।

साइबर क्राइम टीम थाना पड़री—

उ0नि0 रामनगीना यादव व का0 नीरज कुमार थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

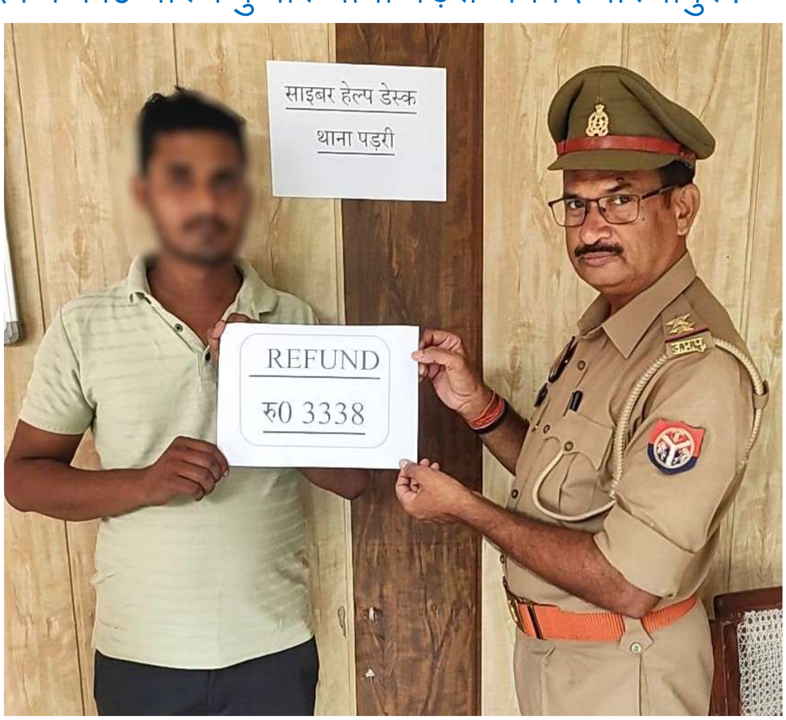

****